

झारखण्ड सरकार  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 09/2020- 687 राँची, दिनांक- 29.10.2020  
कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
गिरिडीह।  
श्री काली किशोर साव, जनवितरण प्रणाली दुकानदार,  
तेतरिया, सलायडीह, गिरिडीह।

विषय:- ग्राम-बरोटोला, थाना-बिरनी, जिला-गिरिडीह के शिकायतकर्ता श्री दिलिप कुमार वर्मा व अन्य कुल-25 शिकायतकर्ताओं के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम-बरोटोला, थाना-बिरनी, जिला-गिरिडीह के शिकायतकर्ता श्री दिलिप कुमार वर्मा व अन्य कुल-25 शिकायतकर्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र के मामले में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक-06.11.2020 को 2.00 बजे अपराह्न में निर्धारित की गई है। अतः आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विभवासभाजन

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।